संख्या-194/2018/3235/26-3-2018

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर-2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड-पचपेड़वा में जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-184/2018/2903/26-3-2018, दिनांक-31.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड-पचपेड़वा में जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु रूपया-1050.79 लाख (रू0-दस करोड़ पचास लाख उन्नासी हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय अपरिहार्य कारणों से उक्त शासनादेश संख्या-184/2018/2903/26-3-2018, दिनांक-31.08.2018 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ.संख्या-194/2018/3235/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।